

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/7501 /

जबलपुर, दिनांक 11/10/2023

II-13-59/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/ चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री महेन्द्र मिश्रा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 29/07/2023 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में 187 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर उक्त धनराशि का भुगतान मृतक की पत्नि श्रीमती राधा मिश्रा पति स्व. श्री महेन्द्र मिश्रा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
के आदेशानुसार

सही / -
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/7502 /

जबलपुर, दिनांक 11/10/2023

II-13-59/23

प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक (वित्त) सह-उपनियंत्रक लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2374/लेखा/2023 इंदौर, दिनांक 20/09/2023 के संदर्भ में श्री महेन्द्र मिश्रा, कोर्ट अटेंडेन्ट का अवकाश लेखा मूलतः एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)